मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश

प्रिलिम्स के लिये:

समानता का अधिकार, महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध पर इस्लामी कानून

मेन्स के लिये:

महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी कानूनी मुद्दा, समानता का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली स्थित जामा मस्जिद ने मस्जिद परिसर के अंदर **एकल अथवा समूह में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया,** परंतु लेफ्टिनेंट-गवर्नर के हस्तक्षेप के बाद इस फैसले को वापस ले लिया है।

- इसके लिये मस्जिद से संबद्ध अधिकारियों का तर्क था **कि कुछ महिलाएँ पूजा स्थल की पवित्रता का सम्मान नहीं कर पाती हैं,** जैसे कि मस्जिद परिसर में वीडियो बनाना आदि।

महिलाओं के मस्जिद प्रवेश पर इस्लामी कानून

- **इस्लामी कानून:**
  - कुरान **कहीं भी महिलाओं को नमाज़ के लिये मस्जिदों में जाने से मना नहीं** करता है।
    - कुरान नमाज़ के लिये **लिंग तटस्थता की बात करता है।**
  - पाँच दैनिक प्रार्थनाओं से पहले अज़ान का उच्चारण किया जाता है।
    - अज़ान प्रार्थना के लिये पुरुषों और महिलाओं दोनों हेतु एक सामान्य निमंत्रण है, जो उपासकों को याद दिलाता है,**'नमाज़ और सफलता के लिये आओ'।**
- **वैश्विक परिदृश्य:**
  - **पूरे पश्चिम एशिया में महिलाओं के नमाज़ के लिये मस्जिद में आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।**
  - अमेरिका और कनाडा में भी महिलाएँ नमाज़ के लिये मस्जिदों में जाती हैं और**रमज़ान में विशेष तरावीह की नमाज़ और धार्मिक पाठ के लिये भी वहाँ इकट्ठा होती हैं।**
- **राष्ट्रीय परिदृश्य:**
  - भारत में **जमात-ए-इस्लामी और अहल-ए-हदीस संप्रदाय** द्वारा संचालित या स्वामित्व वाली कुछ ही मस्जिदों में**महिला उपासकों के लिये प्रावधान हैं।**
  - अधिकांश मस्जिदों में महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिये नमाज़ हेतु तैयार या उनके लिये **अलग प्रार्थना क्षेत्र का कोई प्रावधान नहीं है।**
    - **वे केवल पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।**
    - इन संदर्भों में वे **'केवल पुरुष'** तटस्थता में सीमित हो जाते हैं।
- **विद्वानों की राय:**
  - अधिकांश इस्लामी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि**नमाज़ घर पर पढ़ी जा सकती है लेकिन यह केवल समूह में ही अदा की जा सकती है,** इसलिये मस्जिद जाने का महत्त्व है।
  - अधिकांश इस बात से भी सहमत हैं कि**बच्चों के पालन-पोषण और अन्य घरेलू ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को मस्जिद न आने छूट दी गई है, औपचारिक रूप से उनके मस्जिद प्रवेश की मनाही नहीं है।**

प्रतिबंध के पीछे कानूनी मुद्दा

- भारत के संविधान के अनुसार **पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता है।**

- हाजी अली दरगाह मामले में भी उच्च न्यायालय ने महिलाओं को दरगाह तक**वांछित पहुँच प्रदान करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 25 का हवाला दिया।**
- **सर्वोच्च न्यायालय** के समक्ष याचिकाएँ दायर की गई हैं जिसमें देश भर की सभी मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की माँग की गई है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें **सबरीमाला मामले** से जोड़ दिया है।

क्या पहले भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं?

- वर्ष 2011 में, मुंबई में 15वीं सदी की बेहद लोकप्रिय दरगाह, **हाजी अली दरगाह के परिसर में एक ग्रिल लगा दी गई थी,** जिसमें महिलाओं को उससे आगे जाने पर रोक लगा दी गई थी।
  - इसके बाद कुछ महिलाओं ने इसके समाधान के लिये **दरगाह प्रबंधन** से **गुहार लगाई।**
  - हालाँकि, उनके अनुरोधों को अस्वीकार किये जाने के बाद उन्होंने इस प्रक्रिया में और अधिक महिलाओं को शामिल किया और**'हाजी अली फॉर ऑल'** नामक एक अभियान की शुरुआत की।
  - **भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन** के नेतृत्व में महिलाओं ने बॉम्बे **उच्च न्यायालय** की ओर रुख किया और न्यायालय ने वर्ष 2016 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/entry-of-women-in-masjids